रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2014/पौष 16, 1935
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2014/PAUSHA 16, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

सं. 64 (आर.ई.—2013)/2009—2014

विषय : विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के अध्याय 3 में संशोधन।

का.आ. 29(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009—2014 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. विदेश व्यापार नीति 2009—2014 के पैरा 3.17.11 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा [शामिल किए जा रहे अंश को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है]:

''3.17.11 : इस नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार—पत्रों की निर्यात दायित्व चूकों के मामले में सीमाशुल्क की अदायगी के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को उपयोग/डेबिट किया जा सकता है। तथापि, दण्ड/ब्याज का नकद भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा। एसएचआईएस, एसएफआईएस और एआईआईएस के तहत जारी स्क्रिप्स का इस नीति के अध्याय 4 के तहत जारी प्राधिकार—पत्रों के लिए निर्यात दायित्व चूकों के मामले में सीमा—शुल्क की अदायगी के लिए उपयोग/डेबिट नहीं किया जा सकता है। विदेश व्यापार नीति के तहत समायोजन शुल्क की अदायगी के लिए, विदेश व्यापार नीति के तहत आवेदन—शुल्क की अदायगी के लिए, यदि कोई है, और मूल स्क्रिप धारक द्वारा प्रकिया पुस्तक खण्ड—I, 2009—2014 के पैरा 4.28 (ख) के तहत निर्यात दायित्व के मूल्य में कमी की अदायगी के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का भी प्रयोग किया जा सकता है ।''

इस अधिसूचना का प्रभाव : एसएचआईएस, एसएफआईएस और एआईआईएस स्क्रिप्स का अग्रिम प्राधिकार या डीएफआईए (अर्थात् विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र के लिए ईओ में चूक) के तहत निर्यात दायित्व में कमी के लिए सीमाशुल्क के भुगतान हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है।

[फा. सं. 01/61/180/123/एएम13/पीसी 3]
अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2014

No. 64 (RE-2013)/2009-2014

Subject: Amendments in Chapter 3 of Foreign Trade Policy 2009-2014

S.O. 29 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2009-14 with immediate effect:

2. Para 3.17.11of FTP 2009-14 is amended [Portion being added has been marked in bold letters] to be read as under:

"3.17.11: Duty Credit Scrip can be utilised/debited for payment of Custom Duties in case of EO defaults for Authorizations issued under Chapters 4 and 5 of this Policy. However, penalty/interest shall be required to be paid in cash. Scrips issued under SHIS, SFIS and AIIS cannot be utilised/debited for payment of Custom Duties in case of EO defaults for Authorizations issued under Chapters 4 of this Policy. Duty credit scrips can also be used for payment of composition fee under FTP, for payment of application fee under FTP, if any and for payment of value shortfall in EO under para 4.28 (b) of HBP vol. I 2009-14."

Effect of this Notification: SHIS, SFIS and AIIS scrips cannot be used for payment of Custom duty for shortfall in EO in Advance Authorisation or DFIA (i.e. default in EO for authorisation issued under Chapter 4 of Foreign Trade Policy).

[F. No. 01/61/180/123/AM13/PC 3]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054